रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19062023-246658
SG-DL-E-19062023-246658

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]	दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2023/ज्येष्ठ 29, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 179]	DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023/ JYAISHTHA 29, 1945	[N. C. T. D. No. 95

भाग IV

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जून, 2023

फा0 सं0 21(81)/भर्ती नियम/प्रशि0 प्रशा0/डब्ल्यूएसए–एसए/डीटीटीई/2017/1501.—गृहमंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यशाला परिचारक के पद के संबंध मे इस सरकार की दिनांक 09 मई 2019 की अधिसूचना फा0 सं0 21(81)/भर्ती नियम/प्रशि0 प्रशा0/डब्ल्यूएसए–एसए/डीटीटीई/2017/353 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला परिचारक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को कार्यशाला परिचारक, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयुसीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**–इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेषवर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यशाला परिचारक	103* (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19,900–63,200/– रुपये)	गैर–चयन पद	18–25 वर्ष* के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसरण में सरकारी उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप 1**:–आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होती है, तो आयुसीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।

7	8	9	10	11
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है
(i) मान्यता प्राप्त विद्यालय/ बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण–पत्र प्राप्त हो।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं, लेकिन पद धारी 10वीं कक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।	दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए। **टीपः**–परिवीक्षा पूर्ण करने के लिए संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित 2 सप्ताह का	25% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 75% सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** : ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर–1 (18,000–56,900/– रुपये) में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)। **टीप1**: –जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है

अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो। **टीप** 1:–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं।		अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक अवश्य पूर्ण होना चाहिए।		और वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं तो उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

12	13
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), रा0रा0क्षे0दि0स0 –अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य टीप :–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

भूपेश चौधरी, निदेशक

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 19th June, 2023

No.F.21(81)/RR/TRG.ADMN./WSA-SA/DTTE/2017/1501.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government notification No.F.21(81)/RR/TRG.ADMN./WSA-SA/DTTE/2017/353 dated the 9th May 2019 related to the post of Workshop Attendant , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Attendant of the Industrial Training Institutes in the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-

1. **Short title and commencement.—** (i) These rules may be called the Workshop Attendant, Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of post, its classification and level in pay matrix.—**The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.- No Person,—**

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste , the Scheduled Tribes, ex –Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection post	Age limits for Direct Recruits.
Workshop Attendant	103* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level-2 (Rs. 19900-63200/-) of the Pay Matrix	Non-Selection.	Between 18 years and 25 years* (Relaxable for government candidate upto 40 years in accordance with instructions/ order issued by Central Government from time to time) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Delhi Subordinate Service Selection Board/ Competent Authority. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.

7	8	9	10	11
Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment/promotion/ deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.

(i) 10th pass with Science and Math from recognized School/Board/ University. (ii) National/State Trade Certificate from a recognised Institution. O R National Apprenticeship Certificate from a recognised institution. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Age : No Educational Qualification: No, but the incumbent must be 10th pass.	Two years for direct recruits **Note:** Successful completion of Mandatory induction training of two weeks as prescribed by the Cadre authority is must for probation clearance.	25% by promotion failing which by Direct Recruitment 75% By Direct Recruitment	Promotion : All Multi Tasking Staff (MTS) of Department of Training & Technical Education in Level 1 (Rs. 18000-56900/-) with three years of regular service in the grade. Note 1: where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

12	**13**
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion/ confirmation): 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) GNCT Delhi – Chairman 2. Head of the Department concerned– Member 3. Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi– Member. **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Not applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

BHUPESH CHAUDHARY, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA